न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान -

1. राजाराम पुत्र श्री ख्यालीराम जाति ओड निवासी 17 एल.एम. हाल चक 14 बी.एल.डी.(सी) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

.....प्रार्थी.....

बनाम-

1. गोमती पत्नी श्री कशमीरा जाति ओड निवासी 15 बी.एल.डी.(बी) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. सिमरपाल सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी 14 बी.एल.डी. (सी) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.) श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर।

.....अप्रार्थीगण.....

उपस्थिति :- 1. श्री अवतार सिंह मल्ली, नवीन कुमार मिढ्ढा वकील प्रार्थी
2. श्री प्रेम सिंह सैनी वकील अप्रार्थीगण
3. पैराकार राज तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या - 60/2019 **निर्णय दिनांक - 25.11.2019**

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

यह कि प्रार्थी ने अनवानी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके चक 14 बी.एल.डी.(सी) तहसील श्री विजयनगर का पत्थर नम्बर 233/423, मुरब्बा नं. 29 का किला नं. 14 का 0.253 हैक्टर, 15/1 का 0.240 हैक्टर तथा किला नं. 16/2 का 0.240 हैक्टर इस प्रकार कुल 0.7330 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी राजाराम के नाम से तथा इसी चक के उपरोक्त पत्थर नम्बर 233/423, मुरब्बा नं. 29 का किला नम्बर 5/1 में 0.1260 हैक्टर, किला नं. 6/2 में 0.240 है., किला नं. 10 वा 14 सालम-सालम, किला नं. 15/1 में 0.240 है., किला नं. 16/2 में 0.240 है., किला नं. 25/3 में 0.190 है. इस प्रकार कुल 1.5420 है. कृषि भूमि अप्रार्थीया संख्या 1 गोमती के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है तथा इसी उक्त मुरब्बाजात का किला नं. 3 वा 4 सालम सालम, किला नं. 5/2 में 0.127 है., किला नं. 6/1 में 0.013 है., किला नं. 15/2 में 0.013 है., किला नं. 16/1 में 0.013 है. कमाण्ड, किला नं. 25/4 में 0.013 है. अनकमाण्ड, इस प्रकार कुल 0.6850 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 2 सिमरपाल सिंह के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चक 14 बी.एल.डी.(सी) तहसील श्री विजयनगर का पत्थर नम्बर 233/423, मुरब्बा नं. 29 का किला नं. 14 का 0.253 हैक्टर, 15/1

लगातार.....2

प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

का 0.240 हैक्टर तथा किला नं. 16/2 का 0.240 हैक्टर इस प्रकार कुल 0.7330 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि में काश्त हेतु आने जाने एवं कृषि उपज एवं औजार आदि लाने ले जाने के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 सिमरपाल सिंह के द्वारा अप्रार्थीया संख्या 1 गोमती से किला नं. 6/1 में 0.013 है., किला नं. 15/2 में 0.013 है., 16/1 में 0.013 है., 25/4 में 0.013 है. यानि उक्त प्रत्येक बीघा में करीब एक-एक बिस्वा भूमि को पत्थर लाईन के साथ-साथ खरीद कर रखा है इस उक्त किलाजात की भूमि का उपयोग अप्रार्थी संख्या 2 सिमरपाल सिंह अपने उक्त किलाजात संख्या 3-4-5/2 की भूमि में काश्त हेतु आने-जाने एवं कृषि उपज वा उपकरण को लाने ले जाने के लिए रास्ता के रूप में उपयोग उपभोग कर रहा है और अप्रार्थीया संख्या 1 गोमती भी अपने किलाजात संख्या 6 वा 5/1 का काश्त करने हेतु आने जाने के लिए उपयोग उपभोग करती है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के उपरोक्त मुरब्बाजात के किला नं. 21, 22, 23, 24, 25 के साथ-साथ मन्जुर शुदा चालू रास्ता है और इस उक्त स्वीकृत शुदा चालू रास्ता से होता हुआ प्रार्थी अप्रार्थीगण की सहमत से उनके किलाजात संख्या 25 की पत्थर लाईन के साथ-साथ के रास्ता से होता हुआ आगे अपनी कृषि भूमि के किला नं. 16 में प्रवेश कर अपने कृषि औजार आदि का परिवहन करना शुरू कर दिया लेकिन अब अप्रार्थीगण ने अपने किलाजात नम्बर 25 में स्थित उक्त रास्ता को बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि के उक्त किलाजात में आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपने किलाजात की कृषि भूमि में आने जाने, काश्त करने कृषि उपज वा उपकरण परिवहन करने में अत्यधिक परेशानी हो रही है। अब प्रार्थी भूमि जुताई, बढाई, देखभाल, काश्त हेतु कृषि यन्त्र वा औजार परिवहन नहीं कर सकता और ना ही आ जा सकता है। आज से दो रोज पूर्व प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 वा 2 से सम्पर्क कर आग्रह किया कि वे उक्त वर्णित मुरब्बा नम्बर 29 के पत्थर नं. 233/423 के किला नं. 25 में पत्थर लाईन पर 2 बिस्वा यानि करीबन 16 फुट चौडाई में और एक बीघा लम्बाई में रास्ता स्वीकृत करवाने में प्रार्थी का सहयोग करे तो वे ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये बस यही बिनाए मुखास्मत एवं बिनाए दावा प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्राप्त है। प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 वा 2 के नाम से दर्ज इसी चक के उक्त मु.नं. 29 प.नं. 214/439 के किला नं. 25 में पत्थर लाईन पर 2 बिस्वा यानि करीबन 16 फुट चौडाई में और करीबन एक बीघा लम्बाई में रास्ता स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाना चाहता है। उक्त वांछित रास्ता प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिए लघुतम, सुगम रास्ता है। प्रार्थी को उक्त रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता है क्योकि प्रार्थी को अपनी भूमि में पहुचने के लिए वैकल्पिक रास्ता का अभाव है और उक्त वांछित रास्ता स्वीकृत किये जाने पर प्रार्थी न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली समस्त शर्तो की पालना करने को तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाके चक चक 14 बी.एल.डी.(सी) तहसील श्री विजनयगर का पत्थर नम्बर 214/439 मुरब्बा नं. 29 के किला नं. 25 में पत्थर लाईन पर 2 बिस्वा

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

यानि करीबन 16 फुट चौडाई में और एक बीघा लम्बाई में रास्ता स्वीकृत किया जावे ताकि प्रार्थी अपनी कृषि भूमि के किलाजात में प्रवेश कर उसको काश्त कर सके तथा उक्त स्वीकृत शुदा रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में करने के आदेश अप्रार्थी संख्या 3 को दिया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपना पृथक-पृथक जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों से असहमति जाहिर करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा जो चक 14 बी.एल.डी.(सी) का प.नं. 233/423 का किला नं. 14 ता 16 का रकबा स्वयं का होना बताया जाकर रास्ता की मांग की जा रही है उपरोक्त रकबा अप्रार्थी संख्या 1 का है। जो कि उपरोक्त रकबा बाबत एक तथाकथित साजिशाना दस्तावेज इकरारनामा अशोक कुमार के द्वारा अपने पक्ष में तैयार कर लिया तथा उक्त इकरारनामा के आधार पर विनिर्दिष्ट अनुतोष के लिए वाद माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायालय रायसिंहनगर में दायर कर उक्त भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा लिया जो कि अपर जिला एवं सेशन न्यायालय की उक्त डिक्री व निर्णय को अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में चुनौती दी हुई है जिस बाबत सिविल फर्स्ट अपील 364/2017 जैरकार है जो कि उपरोक्त रकबा बाबत विवाद विभिन्न न्यायालयों में जैरकार रहने के दौरान उक्त कार्यवाही को प्रभावित करने मात्र के लिए अशोक कुमार के द्वारा एक नुमाईशी दस्तावेज के माध्यम से उक्त भूमि का हस्तान्तरण प्रार्थी के पक्ष में नुमाईश तौर पर किया हुआ है। जिस कारण से स्वयं प्रार्थी को भी पता नहीं है कि उक्त किला नं. 14 ता 16 का रकबा प्रार्थी का अथवा अप्रार्थी का है इसलिए अपने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में पहले स्वयं का व उसके तुरन्त पश्चात् ही अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त रकबा होना दर्शित किया गया है। माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय का निर्णय व डिक्री को चुनौती दी जाने के कारण से वह अभी तक अन्तिम नहीं हुआ है व उक्त भूमि का स्वामित्व निर्धारित नहीं हुआ है जब तक किसी भी का स्वामित्व निर्धारित नहीं हो जाता तब तक उसके लिए किसी प्रकार रास्ता आदि की मांग किसी पक्षकार द्वारा नहीं की जा सकती। व उक्त विवाद के तथ्यों को प्रार्थी के द्वारा जानबूझकर छुपायागया है व गलत तथ्यों पर माननीय न्यायालय से धोखा में ही रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है जो किसी प्रकार पोषणीय नहीं है। प्रार्थी द्वारा जिस स्थान से रास्ता चाहा गया है वह किसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 की नहीं है अप्रार्थी संख्या 2 को अनवानी प्रार्थना पत्र में गलत पक्षकार जानबूझकर अप्रार्थीगण के मध्य विवाद पैदा करने की गर्ज से बनाया गया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिस जोईंडर ऑफ पार्टीज से ग्रसित होने के कारण से काबिले खारिजी के है। अप्रार्थी पैरोकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी राजाराम पुत्र ख्यालीराम जाति ओउ निवासी 17 एल.एम. खातेदार के नाम से चक 14 बी.एल.डी.(सी) के प.नं. 233/423 किला नं. 14 का 0.253 है., 15/1 का 0.240 है., 16/2 का 0.240 है. = 0.733 है. कमाण्ड रकबा दर्ज रिकॉर्ड है। प.नं. 233/423 में किला नं. 25 में पत्थर लाईन के सहारे प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थी की भूमि के निकटतम है। किन्तु सिमरपाल सिंह किला नं. 25/4 में 0.013 है. अ.क. रकबा

लगातार.........4

प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

पर पूर्व में पत्थर लाईन के सहारे काबिज था वर्तमान में मौके पर मुरब्बा लाईन सही की बजाए किला नं. 24 के सहारे काबिज है। प्रार्थी के रकबा को अन्य कोई रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी के उक्त 0.733 है. रकबा के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रकरण जैरकार है। स्थगन दर्ज रिकॉर्ड नहीं है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी के रकबा के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। परन्तु मौके पर रास्ता चालू है एवं प्रार्थी के रकबा के सम्बन्ध में स्वामित्व को लेकर विवाद विचाराधीन है। जो माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में जैरकार है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट. अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 25.11.19 मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner